न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 149/2018/दावा

1. पोखरमल पुत्र मालूराम जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 7 रानोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—वादी

ब ना म

1. नाथूराम पुत्र बालूराम
2. नाथी देवी पत्नि नाथूराम
3. केशरदेव पुत्र नाथूराम
4. कमला देवी पत्नि केशरदेव

समस्त जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 2 रानोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

5. भूमि धारक जरिए तहसीलदार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत बेदखल कर कब्जा दिलवाये जाने बाबत् व स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ अं0 धारा 183 राज. काश्त. अधिनियम

उपस्थिति—

1. **श्री सुरेन्द्रपाल धायल वकील वादी की ओर सें।**
2. **प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।**

नि र्ण य **दिनांक — 31.12.2020**

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 10/1569 रकबा 0.10 हैक्टर खसरा नम्बर 11 रकबा 0.34 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.44 हैक्टर वाके ग्राम रानोली पटवार हल्का रानोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। उपरोक्त भूमियां वादी की पैतृक सम्पदा है जो उसके पिता की मृत्यु होने पर जरिए विरासत से प्राप्त हुयी है। वादी अपने परिवार में कमाने वाला एक मात्र सदस्य है, तो पहले विदेश में जाता था, अब महाराष्ट्र में टायल मार्बल का कार्य करता है। उपरोक्त भूमियों काश्त करने के लिए वादी ने प्रतिवादीगण जो वादी की भूमि के पूर्वी दिशा के पड़ौसी है जिनको वादी ने उक्त भूमि इजारा पर काश्त करने के लिए दी थी, परन्तु प्रतिवादीगण जो कि भू माफिया गिरोह के सदस्य है उन्होंनें प्रारंभ मे तो वादी को इजारा समय समय पर देते रहे परन्तु इस वर्ष का इजारा देने से साफ इन्कार कर दिया और कहा कि उक्त भूमि तो हमारी है आपको कोई इजारा नहीं देंगे। इस

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

प्रकार प्रतिवादीगण ने प्रार्थी की भूमि पर नाजायज रूप से कब्जा कर लिया है। उपरोक्त भूमियों की खातेदारी वादी के नाम है जिस पर वादी ने एस बी आई शाखा रानोली से कृषि ऋण ले रखा है। प्रतिवादीगण को वादी द्वारा इजारा पर देने के पश्चात प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि पर नाजायत रूप से कब्जा कर लिया गया जिसका प्रतिवादीगण को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। अब प्रतिवादीगण अवैध कब्जे के आधार पर उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द कर निर्माण करने पर आमदा है यदि प्रतिवादीगण अपने कुउद्देश्य में सफल हो गये तो वादी को असीम साम्पतिक क्षति होगी जिसकी पुर्ति भविष्य में किसी भी प्रकार से किया जाना संभव नहीं है। इसलिए प्रतिवादीगण को वादी की वाद में उपरोक्त भूमियों को खुर्द–बुर्द करने नव निर्माण करने एवं निवं सींवं को खुर्द बुर्द करने से जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना अति आश्वयक एवं न्यायोचित है। वादी जब दिनांक 06.10.2018 को अपने फसल का इजारा लेने प्रतिवादीगण के पास गया तो प्रतिवादीगण ने वादी को इजारा देने से इन्कार कर दिया और कहा कि यह भूमि तो हमारी है आप को किस बात का इजारा देगें तो वादी ने कहा कि उक्त भूमियां तो मेरी खातेदारी शुदा है और बैंक मे रहन है तो प्रतिवादीगण ने एलानियां धमकियां दी की आज के बाद तू भूल जाना हमने आपकी भूमियों पर कब्जा कर लिया है अब तुझे इस जमीन में घुसने नहीं देगें तब वाद कारण उत्पन्न होकर क्षण प्रतिक्षण निरन्तर रूप से जारी है। वाद में प्रतिवादी संख्या 5 को पक्षकार प्रतिवादी के रूप में बनाया गया है, जो कि राज्य सरकार के प्रतिनिधि है जिनको पक्षकार बनाये जाने से पूर्व दो माह का धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिया जाना आवश्यक है किन्तु मामला अति आवश्यक प्रकृति का होने से समयाभाव से नाटिस दिया जाना संभव नहीं है, इसलिए पृथक से धारा 80 (2) सीपीसी का आवेदन पेश कर माननीय न्यायालय से अनुमति चाही गयी है। वादग्रस्त सम्पदा ग्राम रानोली पटवार हल्का रानोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित होने से वाद पत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में है। अतः दावा पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा स्वीकार कर वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 10/1569 रकबा 0.10 हैक्टर खसरा नम्बर 11 रकबा 0.34 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.44 हैक्टर वाके ग्राम रानोली पटवार हल्का रानोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में वादी की खातेदारीशुदा भूमि से बेदखल कर कब्जा वादी को दिलवाया जावें। वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

प्रतिवादीगण को वादी की वाद पत्र में उपरोक्त भूमियों को खुर्द–बुर्द करने नव निर्माण करने से जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना सादर प्रार्थनीय है।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 बावजुद तामिल गैरहाजिर रहने पर इसके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में आई गयी। वाद पत्र के समर्थन में वादी व गवाह के साक्ष्य शपथ पत्र पेश कर दस्तावेज प्रदर्श किये गये। वाद पत्र पर बहस वकील वादी द्वारा की सुनी गयी।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया तथा वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। **वादी का दावा बेदखल कर कब्जा दिलवाये जाने बातत एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर 10/1569 रकबा 0.10 हैक्टर खसरा नम्बर 11 रकबा 0.34 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.44 हैक्टर वाके ग्राम रानोली पटवार हल्का रानोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में वादी की खातेदारीशुदा भूमि में से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलवाया जाने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार दांतारामगढ को आदेशित किया जाता है कि निर्णय वर्णित भूमियों से प्रतिवादीगण को बेदखलकर कब्जा वादी को सम्भलाकर न्यायालय को निर्णय की पालना से अवगत कराना सुनिश्चित करें। आवश्यक होने पर पुलिस इमदाद लेकर निर्णय की पालना करावे।**

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 31.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

डिकी व मुकद्में इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
बअपस चावबमकनतम बकमए ।चचमदकपग श्क्श 1ढ

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ,सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

पोखर   बनाम   नाथू

दावा बाबत बेदखल कर कब्जा दिलवाये जाने बाबत् व स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ अं0 धारा 183 राज. काश्त. अधिनियम

मुकदमा नं0 149 / दावा सन् 2018   निर्णय दिनांक. 31.12.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अशोक कुमार आर.ए.एस बहाजरी **श्री सुरेन्द्रपाल धायल** मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है तथा **भूमि खसरा नम्बर 10 / 1569 रकबा 0.10 हैक्टर खसरा नम्बर 11 रकबा 0.34 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.44 हैक्टर वाके ग्राम रानोली पटवार हल्का रानोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में वादी की खातेदारीशुदा भूमि में से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलवाया जाने के आदेश दिया जाता है।**

उपरोक्तानुसार अंतिम डिकी जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा तहसीलदार दांतारामगढ को निर्णय कि पालना हेतु तहरीर जारी हो ।

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसबब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31.12.2020 को जारी की गई।

मोहर   दस्तखत ओहदा

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

को पेश हो।

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00			
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ